

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

क्रमांक: 353/दो-06-1/18

कटनी, दिनांक - 02/08/24

// आदेश //


माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक ए/1540 जबलपुर दिनांक 20 जून 2019 के संलग्न "मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के स्टाफ संबंधी सेवा एवं भर्ती नियम-2016" में दिये गये प्रावधानों एवं निर्देशों के अंतर्गत स्थापना पर गठित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 01.08.2024 के द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुमोदन उपरांत चतुर्थ श्रेणी के नियमित रिक्त पद भृत्य वेतनमान 15500-49000/- लेवल-1 पर सेवा एवं भर्ती नियम 2016 के नियम-25 (1) में दिये गये निर्देशानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक-2 में दर्शित आकस्मिकता निधि वेतनभोगी कर्मचारी को स्तम्भ क्रमांक-5 पर दर्शित पद में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

सं. क्र.	कर्मचारी का नाम	आकस्मिकता निधि के पद पर नियुक्ति आदेश क्र. व दिनांक	आकस्मिकता निधि के पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक	नियमित चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नत पद का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री हृदेश शर्मा	21/ 08.01.2022	20.01.2022	नियमित भृत्य
2	श्री आनंद वर्मा	20/ 08.01.2022	18.01.2022	नियमित भृत्य
3	श्री अंशुल तिवारी	19/ 08.01.2022	18.01.2022	नियमित भृत्य
4	श्री कैलाश तिवारी	18/ 08.01.2022	20.01.2022	नियमित भृत्य
5	श्री भूपेन्द्र त्रिपाठी	17/ 08.01.2022	13.01.2022	नियमित भृत्य
6	श्रीमती मंजूलता गुप्ता	14/ 08.01.2022	12.01.2022	नियमित भृत्य
7	श्री गजेन्द्र राजपूत	07/ 08.01.2022	19.01.2022	नियमित भृत्य
8	श्री अशोक कुमार	13/ 08.01.2022	13.01.2022	नियमित भृत्य
9	श्री अजय कुमार आठिया	12/ 08.01.2022	13.01.2022	नियमित भृत्य
10	श्री आकाश चढार	11/ 08.01.2022	13.01.2022	नियमित भृत्य
11	श्रीमती प्रभा बाल्मीकि	10/ 08.01.2022	20.01.2022	नियमित भृत्य
12	श्री त्रिलोक पाल मारको	09/ 08.01.2022	19.01.2022	नियमित भृत्य

--: शर्तें ::--

1. यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

2. The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment & Conditions of Service) Rulse, 2016 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2019, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध-स्थायी सेवा) नियम 1960, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 एवं मध्यप्रदेश (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम-1966, यथास्थिति, लागू होंगे।
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के नियम-6 के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर अर्थात् 26.01.2001 के पश्चात् जन्म हुई 2 से अधिक संतान पाये जाने की दशा में आपकी सेवायें तत्काल समाप्त की जावेंगी।
4. पदोन्नत आदेश दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
5. आपकी सेवायें सदैव शासनाधीन हैं, किसी भी समय आपकी सेवायें ली जा सकती हैं।
6. पदोन्नत पद पर उपस्थित होने के पश्चात् उक्त सेवा के अलावा अन्य किसी नियोजन/व्यवसाय/वृत्ति में नियोजित नहीं रहेंगे।
7. कर्मचारी को एक वर्ष तक किसी शैक्षणिक परीक्षा अथवा अन्य नियोजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तत्पश्चात् भविष्य में परीक्षा संबंधी आवेदन उचित माध्यम के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जा सकेगा।
8. उपस्थिति के साथ समस्त शैक्षणिक तथा अन्य अर्ह दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के कूटरचित अथवा असत्य पाये जाने अथवा दस्तावेजों की जांच उपरांत वैधता संदिग्ध/अवैध पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी तथा वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
10. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध-स्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम-12 के अनुसार सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।
11. आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवा समाप्त करते हुये अभियोजन कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. कर्मचारी अन्य किसी जिला न्यायिक स्थापना पर अन्तरमण्डलीय स्थानान्तरण हेतु 3 (तीन) वर्ष तक स्थानान्तरण आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
13. कर्तव्य स्थल में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का उपयोग सेवा, आचरण नियमों के अंतर्गत सेवा के लिए अयोग्य माना जावेगा।
14. पदोन्नत कर्मचारियों को अनुप्रमाणन फार्म 02 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। अनुप्रमाणन फार्म के सत्यापन उपरांत अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति समाप्त की जावेगी।



 (धरमिन्दर सिंह राठौड़)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 कटनी (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र. 2038/दो-11-01/2023

दिनांक- 02/08/24

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग कटनी / विजयराघवगढ/बरही/ढीमरखेडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- जिला कोषालय अधिकारी कटनी।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी म०प्र० की ओर जिला न्यायालय कटनी की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने तथा संबंधित कर्मचारी को ईमेल किये जाने हेतु प्रेषित।
- 4- लेखापाल/सहायक लेखापाल/वेतन लिपिक/प्रेषक लिपिक कार्या० प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 5- संबंधित कर्मचारीकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)